मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम सम्बन्ध

ग़ैर-मुस्लिमों की बहुलता वाले या किसी मिले जुले समाज में मुसलमानों की भूमिका क्या हो और समाज के अन्य समुदायों से उनका सम्बन्ध कैसा हो या समाज के सामूहिक मुद्दों के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण क्या हो, इस विषय पर फ़िक़्ह अकेडमी के 14वें सेमिनार में विचार किया गया। 20-22 जून 2004 ई0 (1-3 जमादिउल अव्वल 1425 हिजरी) को यह सेमिनार दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद में आयोजित हुआ और निम्न प्रस्ताव पारित हुए।

1- इस्लाम की अपनी एक विशेष शासन व्यवस्था है, लेकिन दुनिया में प्रचलित ग़ैर-इस्लामी व्यवस्थाओं में लोकतान्त्रिक व्यवस्था मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में तरजीह के क़ाबिल है। इस लिए इस निज़ाम के तहत मुसलमानों को चुनाव में भाग लेना, उम्मीदवार बनना, वोट देना और किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव अभियान चलाना जाइज़ है।

2- मुसलमानों के मिल्ली और मज़हबी हितों का तक़ाज़ा है कि वह वोट देने का क़ानूनी हक़ भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल करें।

3- जो पार्टियां खुले तौर पर इस्लाम और मुसलमानों की विरोधी हैं उनमें मुसलमानों का शामिल होना जाइज़ नहीं है और उन पार्टियों के किसी उम्मीदवार को वोट देना भी जाइज़ नहीं है, चाहे वह व्यक्गित रूप में कितना ही अच्छा आदमी हो।

4- जम्हूरी धर्म-निर्पेक्ष पार्टियों से मिल्ली हित के लिए समझौते किए जा सकते हैं।

5- देश और नागरिकों के फ़ायदे के लिए इंसाफ़ क़ायम करने के लिए और शान्ति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग़ैर-मुस्लिमों के साथ मिल कर काम किया जा सकता है, और उनके साथ मिलकर संगठन भी बनाए जा सकते हैं।

6- मुसलमानों को ऐसी जगह रहना चाहिए जहां वह अपने दीन ईमान और अपनी पहचान की हिफ़ाज़त कर सकें और तालीम व तरबियत का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि अपने दीनी चरित्र को बनाए रख सकें।

7- इस्लाम में ग़ैर मुस्लिम पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों के भी अधिकार हैं, इस लिए उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए।

8- वंदे मात्रम गीत में शिर्क (बहुदेव-वाद) की घोषणा है और मात्र भूमि को पूजनीय बनाने की कल्पना है, इस लिए मुसलमानों के लिए इस गीत का गाना हराम है और उन्हें इससे बचना ज़रूरी है।

9- अगर किसी ग़ैर इस्लामी क़ानून के आधार पर (इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़) किसी मुसलमान के पक्ष में कोई फ़ैसला हो तो उसके लिए उस फ़ैसले से फ़ायदा उठाना जाइज़ नहीं। यह सेमिनार मुसलमानों से

अपील करता है कि अपने विवाद इस्लामी अदालतों (दारुल क़ज़ा) से हल कराएं, और क़ुरआन व सुन्नत के आधार पर वहां से होने वाले फ़ैसलों को दिल से क़बूल करें। ऐसा करना इस लिए भी ज़रूरी है कि कुछ मामलों में खुद जज का मुसलमान होना भी लाज़मी है।

10- सर्वधर्म संभाव (सारे दीन एक हैं और सभी सच्चे हैं) यानि वहदते अदयान की कल्पना ग़ैर इस्लामी हं, और क़ुरआन व सुन्नत के आधार पर बातिल व ग़लत है, तथा व्यवहारिक रूप से भी अनुचित है। यह विचारधारा इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को गुमराह करने की एक कोशिश भी है। इस लिए मुसलमानों को ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए।

11- इस्लाम मानवता का आदर करता है, इस लिए इन्सानी हमदर्दी के आधार पर कमज़ोर, दुखी और पीडित ग़ैर-मुस्लिम भाईयों की मदद करना मुसलमानों का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है।

12- मुसलमानों की तरफ़ से चलाए जाने वाली जनसेवी संस्थाओं को बिना धार्मिक भेद भाव के सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए, यह इस्लामी शिक्षाओं का तक़ाज़ा है लेकिन ज़कात की रक़म शरीअत के अनुसार केवल मुसलमानों पर ही ख़र्च की जा सकती है।

13- प्राकृतिक आपदा के समय मुस्लिम संगठनों को ग़ैर-मुस्लिम भाइयों की भी मदद करनी चाहिए और उनके साथ हमदर्दी का व्यवहार करना चाहिए।

☆☆☆